प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या सम्बन्धी प्रारूपः–

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नामः– द्वितीय वृत्त, मेरठ**परिषद दिवस के आयोजन का दिनांकः**–15.01.2015

क्रमांक	**आवेदक का नाम, पता एवं मोबाईल नं0**	**शिकायत का विषय**	**यदि पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि**	**निस्तारण हेतु दिया गया समय–(तत्काल /7 दिन/ 15 दिन)**	**कार्य से सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति**	**टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)**
1	पं रामशरण शर्मा, 16 बी/12 वसुन्धरा गाजियाबाद, उ0 प्र0, मो0 नं0–09811405521	वसुन्धरा योजना से प्रभावित विस्थापित किसानों को आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्डों का आवंटन कराने के सम्बन्ध में।		15 दिन	द्वितीय वृत्त कार्यालय मेरठ के पत्रांक 2514/ जी–75/ 160 दिनांक 07.10.15 द्वारा उप आवास आयुक्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, गाज़ियाबाद से सम्बन्धित आवेदक को सूचना प्रेषण का पत्र, जिसमें प्रकरण का निस्तारण किया गया है, वृत्त कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, ताकि तदानुसार सूचना सेवोत्तम प्रकोष्ठ, मुख्यालय को प्रेषित की जा सके।	
2	पं रामशरण शर्मा, 16 बी/12 वसुन्धरा गाजियाबाद, उ0 प्र0, मो0 नं0–09811405521	वसुन्धरा योजना से प्रभावित विस्थापित किसानों की निम्नलिखित समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध मे।		15 दिन	द्वितीय वृत्त कार्यालय मेरठ के पत्रांक 2514/ जी–75/ 160 दिनांक 07.10.15 द्वारा उप आवास आयुक्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, गाज़ियाबाद से सम्बन्धित आवेदक को सूचना प्रेषण का पत्र, जिसमें प्रकरण का निस्तारण किया गया है, वृत्त कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, ताकि तदानुसार सूचना सेवोत्तम प्रकोष्ठ, मुख्यालय को प्रेषित की जा सके।	
3	श्री निसार अहमद, 13/91,	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में मस्जिद		15 दिन	द्वितीय वृत्त कार्यालय मेरठ के	

	वसुन्धरा गाजियाबाद,	हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।			पत्रांक 2514/ जी–75/ 160 दिनांक 07.10.15 द्वारा उप आवास आयुक्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, गाज़ियाबाद से सम्बन्धित आवेदक को सूचना प्रेषण का पत्र, जिसमें प्रकरण का निस्तारण किया गया है, वृत्त कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, ताकि तदानुसार सूचना सेवोत्तम प्रकोष्ठ, मुख्यालय को प्रेषित की जा सके।	
4	श्री महफूज अली खॉ, 14/444 वसुन्धरा गाजियाबाद	भवन संख्या–14/444 के विक्रय विलेख कराने के सम्बन्ध में।		15 दिन	द्वितीय वृत्त कार्यालय मेरठ के पत्रांक 2514/ जी–75/ 160 दिनांक 07.10.15 द्वारा उप आवास आयुक्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, गाज़ियाबाद से सम्बन्धित आवेदक को सूचना प्रेषण का पत्र, जिसमें प्रकरण का निस्तारण किया गया है, वृत्त कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, ताकि तदानुसार सूचना सेवोत्तम प्रकोष्ठ, मुख्यालय को प्रेषित की जा सके।	
5	श्री उमेश गुप्ता, 142/5 फूलबाग कालोनी, मो0नं0–9410683540	आवासीय भू0सं0–एल–1555/1 के आवंटन में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।		15 दिन	उप आवास आयुक्त, मेरठ जोन, मेरठ के पत्रांक 351/ ओ–2/ 14 दिनांक 29.4.16 द्वारा अवगत कराया गया है कि कि प्रश्नगत शिकायत आयुक्त मेरठ मण्डल,मेरठ के कार्यलय पत्रांक 250/ पी0ए0–2015 दिनांक 21.12.2015 के माध्यम से भी प्राप्त हुई थी जिसके सम्बन्ध में सम्पत्ति कार्यलय मेरठ के कार्यलय पत्रांक 07 दिनांक 01.01.2016 के द्वारा उक्त आवासीय भूखण्ड सं0 एल–1555/1 के निरस्तीकरण उपरान्त विस्तृत	निस्तारित

					आख्या आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ को प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को भी पृष्ठांकित की गयी है। सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय मेरठ के द्वारा आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ को प्रेषित उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि जोन स्तर पर लम्बित प्रश्नगत शिकायत को निस्तारित सूची में अंकित करने का कष्ट करें।	
6	श्री हाजी मौ0 असलम एवं समस्त मोहल्ला, सैक्टर–13 शास्त्रीनगर मेरठ, मो0 नं0–9358363699	सैक्टर–13 शास्त्रीनगर, मेरठ में सड़क, बिजली, जलभराव की समस्या।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8, मेरठ के पत्रांक 1095/जी–19/ 34 दिनांक 14.5.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि शास्त्रीनगर स्थित भवन सं0–610/13 के सामने परिषद भूखण्ड की बाउन्ड्रीवाल की निविदा स्वीकृत हो चुकी है, जिसका कार्य शीघ्र करा दिया जायेगा। सैक्टर–13 में प्रश्नगत सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य भी अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की बचत से कराया जाना प्रस्तावित है, यदि अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कोई बचत प्राप्त नहीं होती है तो इसे आगामी अवस्थापना बजट में सम्मिलित करते हुए कराया जाना प्रस्तावित है। तदानुसार शिकायत निस्तारित की जाती है।	निस्तारित
7	श्री संजय कुमार मित्तल, 276/2 शास्त्रीनगर मेरठ,	यो0सं0–11 जागृति विहार विस्तार मेरठ में कस्बा मेरठ स्थित खसरा		15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत मेरठ के पत्रांक 1023/ जी–75/ 78	निस्तारित

	मो0नं0–9837064378	सं0–6348 व 6349 के आसुधार शुल्क जमा कराने के सम्बन्ध में।			दिनांक 02.5.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि प्रकरण के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर बैठक में विचार विमर्श किया गया है, जिसमें यह अवगत कराया गया कि अर्जनमुक्त भूमि को विभक्त कर क्रय किये गये भूखण्डों पर एकल निर्माणस की अनुज्ञा हेतु आसुधार शुल्क जमा कराये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार परिषद दिवस में प्राप्त आपके पत्र का निस्तारण किया जाता है।	
8	श्री मनीष कुमार शर्मा, डी–333 शास्त्रीनगर मेरठ, मों0 नं0–9837064378	योजना संख्या–11 जागृति विहार मेरठ में कस्बा मेरठ स्थित खसरा संख्या–6348, 6349 के आसुधारा शुल्क जमा कराने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत मेरठ के पत्रांक 1022/ जी–75/ 77 दिनांक 02.5.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि प्रकरण के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर बैठक में विचार विमर्श किया गया है, जिसमें यह अवगत कराया गया कि अर्जनमुक्त भूमि को विभक्त कर क्रय किये गये भूखण्डों पर एकल निर्माणस की अनुज्ञा हेतु आसुधार शुल्क जमा कराये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार परिषद दिवस में प्राप्त आपके पत्र का निस्तारण किया जाता है।	निस्तारित
9	श्री देवराज सिंह, सी–98/9, शास्त्रीनगर मेरठ, मो0 नं0–9368342431	योजना संख्या–10 मेरठ में अधिगृहित भूमि के अवशेष प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8, मेरठ के पत्रांक 190/ जी–19/ 18 दिनांक 23.01.2015 के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में उप आवास आयुक्त (भूमि), लखनऊ के	निस्तारित

					पत्रांक 1496 दिनांक 08.01.2015 द्वारा आपको वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः आपके द्वारा दिये गये उक्त पत्र तदानुसार निस्तारित किये जाते हैं।	
10	श्री हरीश चन्द्र पुत्र श्री हरस्वरूप लाल, 705/2 मंगल पाण्डे नगर मेरठ, मो0 नं0–9897564038	मंगल पाण्डे नगर योजना संख्या–1 में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या–346/1/3 से 346/7/3 तक के विकास कार्य एवं विवाद के सम्बन्ध में		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–6, मेरठ के पत्रांक 258/एम–13/ 7 दिनांक 16.2.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि उनके पत्रांक 47/एम–13/2 दिनांक 14.1.2015 द्वारा आवेदक को उत्तर प्रेषित किया जा चुका है।	निस्तारित
11	श्री सौरभ सिंह पुत्र श्री मदन पाल सिंह चौहान, 459/2 शास्त्रीनगर मेरठ, मो0 नं0–9286367812	भवन संख्या–459/2 शास्त्रीनगर मेरठ के आस पास के आवंटियों द्वारा अपने घरों के आगे किये गये अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में।		तत्काल	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–8 मेरठ के पत्र संख्या 118 दिनांक 15. 01.2015 द्वारा आवेदक को अवगत कराया गया है कि योजना संख्या–7 शास्त्रीनगर मेरठ के सैक्टर–1 से 7 तक की समस्त सेवायें यथा सड़के, सीवर जलापूर्ति, नालियॉ, पार्क आदि काफी समय पूर्व ही आवास एवं विकास परिषद अधिनियम –1965 की धारा–41 के अन्तर्गत रख रखाव हेतु नगर निगम को हस्तान्तरित की जा चुकी जिसके उपरान्त समस्त सेवाये स्थानीय नगर निगम में निहीत हो जाती है। अर्थात इन सेवाओं से परिषद का स्वामित्व समाप्त हो जाता है तथा इन सेवाओं पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को हटाने सम्बन्धी कार्यवाही नगर निगम मेरठ द्वारा ही की जानी है।	निस्तारित
12	श्री श्रीपाल सिंह, 279/2 सरायकाजी मेरठ, मो0 नं0–9359065992	राजस्व ग्राम सरायकाजी खसरा संख्या–145/2, 164, 165 एवं 148, 308/2, 207/2 का अविधिक अधिग्रहण कराने के सम्बन्ध में।		तत्काल	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–8, मेरठ ने पत्र संख्या–119 दिनांक 15.01.2015 द्वारा आवेदक को अवगत कराया गया है कि	निस्तारित

					परिषद द्वारा मेरठ में नगर में विकसित की जा रही योजना संख्या–11 मेरठ में समाविष्ट खसरा संख्या–145/2, 164, 165, 148, 308/2, 207/2 राजस्व ग्राम सरायकाजी की भूमि के करार वर्ष 2009 में तत्समय राजस्व अभिलेखों में दर्ज काश्तकारों से निष्पादित किये गये थे तथा अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति (आवास) मेरठ राजस्व अभिलेखों में इन खसरों की भूमि के स्वामित्व का परीक्षण कराते हुए दिनांक 16.03. 2009 को अवार्ड घोषित कर काश्तकारों को प्रतिकर का वितरण किया गया है तथा इन खसरों की भूमि का दिनांक 12.08.2009 को भौतिक कब्जा परिषद को हस्तगत किया जा चुका है एवं राजस्व अभिलेखों में इन खसरों की भूमि परिषद के नाम अमल दरामद हो चुकी है इस प्रकार परिषद द्वारा कोई अविधिक अधिग्रहण नहीं किया गया है ओर यदि इन काश्तकारों द्वारा परिषद से करार निष्पादित करने से पूर्व किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई विक्रय पत्र/ बैनाम आदि किया जाता है तो करार नियमावली के अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्ति काश्तकार के नाम वाद योजित कर कानूनी कार्यवाही कर सकता है।	
13	श्री श्रीपाल सिंह, 279/2 सरायकाजी मेरठ, मो0 नं0–9359065992	खसरा संख्या–88 स्थित ग्राम कमालपुर में श्रीपाल सिंह के खेत/प्लाट की चाहरदीवारी की ईट वापिस करने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–08 मेरठ के पत्रांक 134/ जी–19/10 दिनांक 16.01.2015 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया	निस्तारित

					है कि परिषद द्वारा मेरठ नगर में विकसित की जा रही जागृति विहार भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना सं0–11, मेरठ में समाविष्ट खसरा सं0–88 राजस्व ग्राम कमालपुर का कुल क्षेत्रफल 19450.00 वर्ग मी0 था, जिसमें से आपके हिस्से की 814.00 वर्ग मी0 भूमि का करार आपके द्वारा परिषद से दिनांक 29.2. 2009 को निष्पादित किया गया था, जिसके आधार पर अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति (आवास) मेरठ द्वारा दिनांक 31.8. 2009 को एवार्ड घोषित करते हुए, आपको प्रतिकर का भुगतान कर दिनांक 18.3.2010 में इस खसरे की समस्त भूमि का कब्जा परिषद को हस्तगत है किया जा चुका है। परिषद से करार निष्पादित करते समय आपके द्वारा अपनी ईंटों के बारे में न तो अवगत कराया गया था तथा न ही इस खसरे की भूमि का कब्जा प्राप्त करते समय स्थल पर ईंटें चाहरदीवारी के रूप में पायी गयी। उक्त खसरे की भूमि का कब्जा प्राप्त करते समय इस खसरे की भूमि पर खेती की जा रही थी। इस खसरे की भूमि पर जल निगम द्वारा एस0टी0पी0 का निर्माण किया जा चुका है तथा आपके द्वारा पॉच वर्ष उपरान्त यह कहना कि स्थल पर आपकी चाहरदीवारी की ईंटें उपलब्ध थी, स्वीकार्य नहीं है। तदानुसार परिषद दिवस में प्राप्त आपकी शिकायत का निस्तारण किया जाता है।	

14	श्री वीर सिंह, 429/9 जागृति विहार मेरठ, मो0 नं0–9359065992	खसरा संख्या–538/1 आवास विकास परिषद मेरठ की जागृति विहार योजना संख्या–6 पर श्री भगवत गिरि एवं उसके परिवार द्वारा करोड़ों रूपये की सम्पत्ति हड़पने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–5, मेरठ के पत्रांक 93/जी–15/ 13 दिनांक 20.01.2015 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि खसरा सं0–538/1 का कुल रकबा 1–2–0 बीघा था, जिसमें से रकबा 0–18–12 बीघा (2813.25 वर्ग गज) का कब्जा एस0एल0ओ0 द्वारा परिषद को दिनांक 23.12.1983 को दिया गया। अवशेष क्षेत्रफल 0–3–8 बीघा का कब्जा परिषद को प्राप्त नहीं है। कब्जा प्राप्त क्षेत्रफल में मा0 न्यायालय में कब्जे/इकरार नामे के आधार पर वाद विचाराधीन है। इस प्रकार परिषद को कब्जा प्राप्त भूमि में से कुल 906.00 वर्ग गज भूमि न्यायालयमें विवादित है। शेष भूमि का परिषद द्वारा अपनी योजना में समायोजन किया जा चुका है। उक्त वादों के निस्तारण उपरान्त परिषद द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार परिषद दिवस में प्राप्त शिकायत का निस्तारण किया जाता है।	निस्तारित